ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 3.4
IJAR 2014; 1(1): 383-386
www.allresearchjournal.com
Received: 09-10-2014
Accepted: 18-11-2014

डॉ सदानंद राय
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ सदानंद राय
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत

भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्य प्रणाली एवं उपलब्धियों का अध्ययन

डॉ सदानंद राय

सांराश
एक ऐसी योजना जो मानव जीवन में होने वाली क्षति में आर्थिक रूप से उसकी भागीदारी कर सके बीमा कहलता है। विस्तृत शब्दों में हम कह सकते है कि बीमा एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत हम अपने जीवन में होने वाली क्षति को विभिन्न लोगों में जो इस योजना में सम्मिलित है, वित्तीय आधार पर बॉट सकते हैं। मानव जीवन और उसकी भौतिक सम्पत्ति को हमेशा विनाशकारी तत्वों से हानि या क्षति का खतरा बना रहता है, जिससे उसके जीवन, वाणिज्य एवं उद्योग में अनिश्चितता एवं अस्थिरता बनी रहती है, और इस अस्थिरता से मानव हमेशा आशंकित रहता है तथा इस अनिश्चितता से अपने जीवन और अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रति हमेशा उत्सुक रहता है।

कूट शब्द– भारतीय जीवन बीमा, आर्थिक, विनाशकारी, हानि या क्षति

प्रस्तावना
सुरक्षा की आवश्यकता ने बीमा प्रणाली का अविष्कार किया है। अर्थात् हानि या जोखिम में भागीदारी की प्रणाली पर ही बीमा की परिकल्पना की गयी है जिसमें सहयोग की वह भावना भी विधमान है जो सभ्यता के आरम्भ में पायी जाती थी। जीवन बीमा, मानव जीवन से जुड़ी आकस्मिकताओं, जैसे कि मृत्यु, विकलांगता, दुर्घटना, सेवानिवृत्ति आदि के लिए एक वित्तीय सुरक्षा है। प्राकृतिक या दुर्घटना कारणों से मानव जीवन से मृत्यु और विकलांगता के जोखिम जुड़े रहते हैं। किसी मनुष्य की मृत्यु होने या स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विकलांग हो जाने पर परिवार की आय की हानि होती है।
यद्यपि मानव जीवन अनमोल है, लेकिन भावी वर्षों की आय में हानि के आधार पर एक धनराशि निर्धारित की जा सकती है। इसलिए, जीवन बीमा में, परिपक्वताधनिश्चित धनराशि (या वह धनराशि, हानि की स्थिति में जिसका भुगतान किए जाने की गारंटी होती है), एक प्रकार का ''लाभ'' होता है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या किसी दुर्घटना के कारण अपंग हो जाने की स्थिति में जीवन बीमा उत्पाद, एक निश्चित मात्रा में धनराशि प्रदान करते हैं।
प्रमुख रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसके परिवार के लिए उसका सहारा आवश्यक हो तथा वह आय अर्जित करता हो, उसके लिए जीवन बीमा आवश्यक होता है। गृहिणियों द्वारा परिवार में किए जाने वाले योगदान के आर्थिक मूल्य के परिप्रेक्ष्य में, उन्हें भी जीवन बीमा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बच्चों की भावी आय संभावनाओं से जोखिम जुड़े होने के नाते उनके लिए भी जीवन बीमा आवश्यक माना जा सकता है। अतः हम कह सकते है कि बीमा जोखिमों के दुश्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। बीमा को दो दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जा सकता है–

1. कार्य के दृष्टिकोण से
2. बीमा के संविदा के दृष्टिकोण से

1. कार्य के दृष्टिकोण के आधार पर
बीमा संभावित सिद्धान्त पर आधारित एक सहकारी व्यवस्था है जिसमें सबके सहयोग से हानि–पूर्ति के निमित्त एक निधि निर्मित होती है और विभिन्न व्यक्तियों के जोखिमों को पूरे समुदाय में वितरित करके उन्हें निश्चितता प्रदान की जाती है। बीमा उस प्रणाली को कहते है जिसके द्वारा किसी जोखिम–विशेष से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ी संख्या के व्यक्तियों में प्रत्येक से अपेक्षाकृत अल्प राशि का अभिदाय लेकर उससे ऐसे व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है। जिनको उस जोखिम से हानि या क्षति होती है।" अनेक विद्वानों ने बीमा की संक्षिप्त परिभाषाएं भी दी है।

इन परिभाषाओं में उपर्युक्त विशेषताओं में से कुछ एक को ही जिक्र होता है। इसमें से कतिपय प्रसिद्ध परिभाषाएं निम्नलिखित हैं।

- बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते है।
- बीमा एक योजना है जिसके द्वारा लोग बड़ी संख्या में सहयुक्त होकर व्यक्तियों की जोखिमों को सबके ऊपर अन्तरित करते हैं।
- बीमा एक साधन है जिसके द्वारा कुछ की हानियां बहुतों में बंट जाती है।
- बीमा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता स्थापित होती है।

2. बीमा के संविदा के दृष्टिकोण से

बीमा एक व्यवसाय भी है जो संविदा पर आधारित हैं इन संविदा के अनुसार एक पक्षकार दुसरे पक्षकार को आकस्मिक घटनाओं के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है। इस रूप में बीमा की परिभाषा को विधि की परिभाषा अथवा संविदात्मक परिभाषा कहा जाता है।

बीमा दो पक्षकारों के बीच की गयी एक संविदा है जिसके अर्न्तगत एक पक्षकार निश्चित प्रतिफल के बदले में दुसरे पक्षकार की विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उसे भविष्य में किसी उल्लिखित घटना के होने पर एक निश्चित धनराशि देने का या क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। जीवन बीमा उस घटना के घटित होने पर जिसके प्रति बीमा कराया गया है, बीमित व्यक्ति (या उसके न रहने पर पॉलिसी धन प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति) को पालिसी का धन भुगतान करने की संविदा है। सामान्यतः संविदा में पूर्णावधि की तिथि पर अथवा आवधिक अन्तरालों में पूर्व निर्धारित तिथियों पर अथवा दुर्भाग्यवश। सर विलियम वेवरिज जॉन मैगी डिंसडेल 3–मैकगिल उससे पूर्व मृत्यु हो जाने पर पालिसी धन भुगतान करने का प्रावधान होता है। अन्य बातों के साथ–साथ संविदा में बीमेंदार द्वारा आवधिक रूप से निगम को प्रीमियम भुगतान किए जाने का भी प्रावधान होता है। सार्वभौमिक रूप से जीवन बीमा एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो अनिश्चितता को निश्चितता में बदलकर को हटाती है और परिवार पालक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को यथा समय सहायता प्रदान करती है। मोटे रूप में जीवन बीमा मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का आधुनिक काल का आंशिक निदान है। संक्षेप में जीवन बीमा का सम्बन्ध उन दो प्रकार के जोखिमों से है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन–पथ में आते है आश्रित परिवार को अपनी व्यवस्था स्वयं करने के लिए छोड़कर अकाल मृत्यु हो जाना और बिना किसी प्रत्यक्ष सहारे के वृद्धावस्था में जीवन यापन करना। आधुनिक बीमा व्यवसाय में जीवन बीमा का सर्वोच्च स्थान है। इसकी व्यापकता, विस्तार और महत्व का मूल रहस्य यह है कि इसका मानव जीवन से प्रत्यक्ष और घनिष्ट सम्बन्ध है और सुरक्षा साधन के रूप में यह बड़ा आवश्यक, उपयोगी और हितकर सिद्ध हुआ है।

बीमा की उत्पत्ति और विकास

बीमा की उत्पत्ति और प्रारम्भिक इतिहास का कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु यह माना जाता है कि बीमा का विकास प्राचीन काल में ही हो गया था। प्राचीनकाल में कतिपय जोखिमों में सुरक्षा देने की अनेक प्रथाएं प्रचलित थी। जिनका उल्लेख धर्मग्रन्थों और नीतिशास्त्रों में हुआ। वैदिक साहित्य में बीमा के अर्थ में शब्द प्रयुक्त हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन भारत में कुछ अंशों में बीमा जैसी सुरक्षा सुविधा उपलब्ध थी। यह माना जाता है कि बीमा के विकास क्रम में सर्वप्रथम समुद्री बीमा का प्रारम्भ हुआ, और उसके अनेक शताब्दियों के बाद अग्नि बीमा, जीवन बीमा और अन्य प्रकार के विविध वीमों का प्रचलन हुआ।

जीवन बीमा

जीवन बीमा का प्रारम्भ इंगलैण्ड में 16वीं शताब्दी में हुआ। कहा जाता है कि सबसे पहले जीवन बीमा पॉलिसी इंगलैण्ड में सन् 1583 में विलियम गिबन्स नामक एक व्यक्ति के जीवन पर एक वर्ष की अवधि के लिए जारी हुई थी। आरम्भिक अवस्था में अल्पकाल के लिए ही जीवन बीमा किया जाता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जीवन बीमा का कारबार करने के लिए बहुत सी समितियां और बीमा संस्थाएं स्थापित हुई। सन् 1698 में 'मरसर्स कम्पनीश और सन् 1699 में श्सोसायटी आफ एंश्योरेंश फार विडोज एण्ड ऑरफंसश नामक संस्थाएं स्थापित हुई जिनका उद्देश्य अपने सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी विधवा या अनाथ संतान को वार्षिकी प्रदान करना था। सन् 1706 में नामक बीमा संस्था स्थापित हुई जो लगभग डेढ़ सौ वर्षों बाद नारविक यूनियन नामक जीवन बीमा कम्पनी में मिला दी गयी।

आरम्भ में जीवन बीमा में संलग्न संस्थाएं अनुमान के आधार पर कारबार करती थीं, क्योंकि मृत्यु सम्बन्धी विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध नहीं थे। इस बीच बीमांकन विज्ञान का विकास हुआ और मृत्यु संख्या सारणियां उपलब्ध हुई जिनके आधार पर वैज्ञानिक ढंग से प्रीमियम निर्धारण सम्भव हुआ। तत्पश्चात् जीवन बीमा के कारबार में तेजी से वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी में स्थापित कम्पनियों में रायल एक्सचेंज एश्योरंश, 'लन्दन एश्योरंस और 'ब्रिटस एश्योरंश उल्लेखननीय है। भारत में जीवन बीमी निगम का कारबार सन् 1818 से प्रारम्भ हुआ जब अंग्रेज ने कलकत्ता में एक जीवन बीमा कम्पनी स्थापित सन् 1823 में बम्बई में और सन् 1829 में मद्रास में बीमा कम्पनी खुली तत्पश्चात सन् 1870 तक अनेक छोटी–बड़ी कम्पनियां स्थापित हुई। ये कम्पनी प्रमुखतः अंग्रजी का ही जीवन बीमा करती थी। सन् 1871 में बाम्बे म्यूचअल' और सन् 1874 में ' आरिएण्टल नाम भारतीय कम्पनिया खुली जिन्होंने भारतीयों का जीवन बीमा करना शुरू किया। सन् 1905 के स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव से अनेक भारतीय कम्पनियां स्थापित हुई। सन 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ और तत्पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम नामक एक विशाल संगठन अब भारत में जीवन बीमा का कारोबार कर रहा है।

विविध बीमा

उपर्युक्त तीन बीमा प्रणालियों के पश्चात समय–समयपर अन्य प्रकार के बीमों का भी विकास होता गया। इन बीमों को सम्मिलित रूप से विविध बीमा कहा जाता है। विविध बीमा को ही पाश्चात देशों में दुर्घटना बीमा कहते है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसे बेंनसजल पदेनतंदबम कहा जाता है।

18 वीं शताब्दी के अन्त तक व्यावसायिक आधार पर समुद्री बीमा, अग्नि बीमा और जीवन बीमा का कारबार भली–भॉति स्थापित हो चुका था। विविध बीमों की आवश्यकता इंगलैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न नवीन जोखिमों एवं परिवर्तितजीवन शैली के कारण हुई। इन नए बीमों का आरम्भ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ और विविध बीमों के विकास में भी इंगलैण्ड अग्रणी रहा है। औद्योगिक क्रान्ति के कारण बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा उत्पादन शुरू हुआ, मशीन सभ्यता में परिवहन के तरीके बदले, रेल परिवहन और उसके बाद मोटर परिवहन के युग में दुर्घटनाओं के संकट बढ़े इन्ही जोखिमों के लिए समय–समय पर नए बीमों का

प्रारम्भ हआ विश्वस्तता गारण्टी बीमा, वैयक्ति दुर्घटना बीमा, नियोजक दायित्व बीमा, चोरी का बीमा, मोटा बीमा आदि अनेक प्रकार के बीमों का विकास मांग के कारण हुआ। इंगलैण्ड में 1840 से विश्वस्तता गारण्टी बीमा प्रारम्भ हुआ, सन् 1848 में रेल यात्रियों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा पालिसी जारी होने लगी।

सन् 1872 में इंजनों का बीमा होने लगा था। सन् 1880 सेनियोजक दायित्व बीमा का चलन शुरू हुआ। मोटर गाड़ियों के

शुरू होने पर 20वीं शताब्दी के आरम्भ से मोटर बीमा का कारबार होने लगा था। विमानन बीमा का प्रारम्भ मुख्य रूप से सन् 1923 से हुआ। भारतीय बीमा कम्पनियों ने भी समय–समय पर विभिन्न प्रकार के विविधबीमों का व्यापार शुरू कर दिया था, इसमें इनकी कार्य पद्धति इंगलैण्ड की बीमा संस्थाओं के अनुसार थी।

इस प्रकार विविध बीमा का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। नये–नये प्रकार के बीमों की व्यवस्था करने में लॉसड्स के बीमाकर्ता विश्वविख्यात है। विविध बीमा की उत्तरोत्तर वृद्धिवर्ती गति के कारण आज बीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है।

जीवन बीमा की आवश्यकता

जीवन बीमा जीवन से सम्बन्धित जोखिमों के दृष्परिणामों से सुक्षा प्रदान करने की एक उत्तम व्यवस्था है। मनुष्य के अनेक प्रकार के परिवारिक उत्तरदायित्व होते है जिनकों पूरा करने के लिए समुचित धनराशि चाहिए। इसलिए मनुष्य यत्न और उद्यम करता है, धन कमाता है, तथा अपनी आय के परिवार के भरण–पोषण और सुख–सुविधा और सुख–सुविधा की व्यवस्था करता है उसे आज के लिए ही नही वरन कल के लिए भी समुचित प्रबन्ध करना होता है जिसके लिए अनेक ढंगो से धन बचता है। उसका जीवन उस पर निर्भर आश्रितों के लिए सचमुच बड़ा मूल्यवान है। यदि वह पर्याप्त समय तक जीवित रहे और यदि उसकी आयोपार्जन शक्ति कायम रहे, तब तो वह स्वयं ही अपने आश्रितों की सुरक्षा का सहारा हो सकता है।

लेकिन वह कब तक जीवित रहेगा, उसकी आयोपार्जन–शक्ति कब तक कायम रहेगी कौन जानता है। जीवन नश्वर है मरणबेला अनिश्चित है। पता नही उसकी इहलीला किस क्षण समाप्त हो जाए और उसकी मृत्यु होते ही उसके आश्रित परिवार के भरण–पोषण की आय भी स्वाहा हो जाए तब आश्रितकों का सहारा क्या होगा। मृत्यु के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के सामने दुर्घटना या अशक्तता की भी जोखिम रहती है। यदि परिवार का भरण–पोषण करने वाला दीर्घजीवी हो तब भी किसी दुर्घटना के कारण वृद्धावस्था के कारण उसके असमर्थ हो जाने पर उस व्यक्ति की आयोपार्जन शक्ति क्षीण हो सकती है। जीवन से सम्बन्धित सभी जोखिमों का प्रभाव

यह होता है कि इसके कारण व्यक्ति की आय में कमी आती है। उसकी आय समाप्त हो जाती है। आयोपार्जन शक्ति मृत्यु होने के कारण अथवा असमर्थता के कारण समाप्त हो सकती है। यही जीवन सम्बन्धी जोखिम है और इन्हीं जोखिमों के प्रति जीवन बीमा की आवश्यकता होती है। जीवन बीमा का प्रधान कार्य है, मृत्यु वृद्धावस्था या असमर्थता द्धारा उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से सुरक्षा प्रदान करना। जीवन बीमा एक जायदाद या सम्पदा भी है, जीवन बीमा द्वारा धन संचय होता है। इस प्रकार जीवन बीमा में सुरक्षा और विनयोग दोनों तत्व है जबकि अन्य बीमों में केवल सुरक्षा का तत्व ही रहता है। यह जीवन बीमा की विशिष्टता है।

भारतीय जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण

भारत सरकार ने दिनांक 19 जनवरी 1956 को भारतके जीवन बीमा व्यवसाय का व्यवस्था पन तथा नियंत्रण अध्यादेश द्वारा केन्द्रीय सरकार में निहित करते हुए भारत के जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण करने की दृष्टि से पहला कदम उठाया। यद्यिपि जीवन बीमा निगम अधिनियमों के जारी होने तक कम्पनियों का अलग अस्तित्व कायम रहा तथा सम्बन्धित भागीदारों का स्वामित्व भी बना रहा।

जीवन बीमा अध्यादेश 1956 जारी करते समय, राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य के सम्बन्ध में उस समय के वित मन्त्री श्री सी0डी0 देशमुख द्वारा राष्ट्र को दिये गये सन्देश इस प्रकार हैः

देश ने समाज को समाजवादी प्रतिरूप देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग अपनाया है उससे जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण एक अभूतपूर्व प्रयास होगा इससे दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों के करोड़ों के लोगों के मन में नयी जागरूकता की भावना पैदा होगी जिससे आने वाले समय में अनेक मन दृढ़ विश्वास निर्माण होगा जो केवल बीमा ही दे सकता है। राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही का जन्म जनता को प्रमाणिक सेवा देने की भावना से हुआ है।अब शंका निर्माण करने वालों को निरूतरित करके इसे पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सहकार्य देना केवल जनता पर ही निर्भर है।

इसप्रकार जीवन बीमा का कारबार जो तब तक प्राइवेट सेक्टर की बीमा संस्थओं के होथ में था भारत भारत सरकार के हाथ में आ गया। जून 1956 संसद में जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 नामक अधिनियम पारित किया गया जो 01 जुलाई 1956 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक सरकारी संस्था स्थापित हुई जिसे हिन्दी में भारतीय जीवन बीमा निगम और अंग्रजी में लाइफ इन्श्योरेन्स कांरपोरेशन आफ इंण्डिया कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम 01सितम्बर 1956 ये जीवन बीमा का व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया।

राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य और कारण

जीवन बीमा का राष्ट्रीकरण अनेक सैद्धान्तिक आधारों एवं व्यवहारिक तथ्यें को ध्यान में रखते हुए किया गया था। राष्ट्रीयकरण के महत्वपूर्ण कारणों और उद्देश्यों के प्रसंग में निम्नलिखित बाते उल्लेखनीय है–

1. जीवन बीमा के सिद्धान्त

1. पंचवर्षीय योजनाओं के लिए

देश के आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को बृहत मात्रा में वित व्यवस्था करनी होती हैं जीवन बीमा के कारबार को निजी कम्पनियों से लेकर राष्ट्रीयकरण करने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण इसलिए आवश्यक समझा गया कि ऐसा करके जनता की बचतों को योजनाबद्ध और प्रभावशाली ढंग से एकत्र करके राष्ट्रहित में प्रयुक्त किया जा सकता है। इन प्रसंग में तत्कालीन वित मन्त्री श्री चिन्तामणी देशमुख ने राष्ट्रीकरणके अवसर पर अपने 19 जनवरी 1956 के रेडियो भाषण में कहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए पूॅजी के साधनों को द्रुतगति से बढ़ाना है और बीमा का राष्ट्रीयकरण इस कार्य का महत्वपूर्ण अंग है।

2. बीमादारों के हित के लिए

यह भी देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर की अनेक जीवन बीमा कम्पनियों का कार्य–संचालन बीमादारों के हित के प्रतिकूल था। राष्ट्रीयकरण के पूर्व के दशक में जीवन बीमा व्यवसाय की गतिविधि असन्तोषपद थी, क्योकि इस काल में 25 जीवन बीमा कम्पनियों ने अपनी सम्पत्ति का इतना अधिक दुरूपयोग किया था कि उनके कारबार को दूसरी कम्पनियों को अन्तरिक्त कर देना पड़ा। कई बीमा कम्पनिया की जांच करने पर यह पता चला था कि वहां लाखों रूपए की सरकारी प्रतिभूतियां ने इन दशाओं में जीवन बीमा को प्राइवेट सेक्टर में छोड़ देना, अनुचित समझा और इस कारण भी राष्ट्रीयकरण करना पड़ा।

3. जीवन बीमा के व्यापक प्रसार के लिए

सरकार ने यह भी देखा कि इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में जीवन बीमा का इतना व्यापक प्रसार नहीं हो सका था जितना होना चाहिए था। जीवन बीमा का चलन नगरों के धनिक एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा किन्तु ग्रामीण जनता तथा अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए बीमा की सुविधाएं उपलब्ध न हो सकी। बात यह कि प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों जीवन बीमा के प्रसार के लिए अल्पमूल्य की पॉलिसियां जारी करने में और

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कार्य करने में असमर्थ थी। क्योंकि इसमें उसके व्यय के बढ़ने का भय थ, और लाभोपार्जन की गुंजाइश कम थी। यही कारण था कि इन कम्पनियों ने अपना कार्य–क्षेत्र नगरों तक ही सीमित रखा और इसी दायरे में ने पारस्परिक प्रतियागिता करती रही।

फलस्वरूप, जहॉ यह अनुमान लगाया गया था कि जीवन बीमा का व्यवसाय 8.000 करोड़ रूपये तक पहुॅच सकता है वहां राष्ट्रीयकरण द्वारा ही सम्भव पाया गया क्योंकि राष्ट्रीयकृत संस्था लाभोपार्जन के दृष्टिकोण से कम न करके बीमा के विस्तृत प्रसार के उद्देश्य से आगे बढ़ सकती थी। [2]

सुरक्षा एवं विनियोग के साधन के रूप में तथा जनता की बचत को भलीभॉति एकत्र करने के विचार से यह आवश्यक है कि जीवन बीमा की सुविधाएं देश के कोने कोने में उपलब्ध हो। इसके लिए भी जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करना उचित ठहराया गया। इस प्रसंग में श्री चिन्तामणि देशमुख ने कहा था कि हमारे देहातों में रहने वाले लाखों नागरिकों के लिए जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण एक ऐसी जावन आशा का संचार करेगा जो सुदृढ़ आर्थिक निर्माण की आधारशीला होगी

4. अन्य कारण

जेवन बीमा के राष्ट्रीयकरण करने के अन्य कारणों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण थे–

क. सरकार ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनी आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था और इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक समझा गया कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। [1]

ख. हमारे देश में जीवन बीमा व्यवसाय में प्रबन्ध व्यय काफी उॅचा था। जंहा इगलैण्ड में प्रबन्ध व्यय अनुपात 15 प्रतिशत और अमेरिका में 17 प्रतिशत है वहां हमारे देश में यह 27 प्रतिशत रहा है।यह आशा व्यक्त की गई कि यदि जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य करने वाली सैकड़ों छोटी–बड़ी कम्पनियों को एक में मिलाकर रखा जाए तो इससे प्रबन्ध व्यय में काफी कमी लाई जा सकगी। इसका आधार यह है कि जहां एक ही स्थान पर अनेक कम्पनियों की विभिन्न शाखाएं व उपशाखाएं स्थापित हो उनके स्थान पर केवल एक कार्यालय स्थापित करके अपेक्षाकृत कम व्यय पर पूरा व्यवसाय सेचालित किया जा सकेगा । इस प्रकार राष्ट्रीयकरण इसलिए भी वांछनीय माना गया कि इसके फलस्वरूप व्ययों को कम करके प्रीमियम दर घटाई जा सकती थी और बीमा व्यवसाय में अभिवृद्धि हो सकती थी।

ग. अनेक जीवन बीमा कम्पनियों के विरूद्ध भारत सरकार के पास इस बात की शिकायत पहुॅची थी ि कवे पालिसियों पर हुए दावों का भुगतान बड़े विलम्ब से करती है। जिससे बीमा कराने का उद्देश्य सुचारू रूप से पूरा नहीं हा पाता। इसलिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि राष्ट्रीयकरण होने से ऐसी शिकायत दूर की जा सकेगी। [4]

भारतीय जीवन बीमा का संक्षिप्त इतिहास आरम्भिक प्रयास हमारे देश में जीवन बीमा कारबा का प्रारम्भा सन् 1818 से माना जाता है। जब अंग्रजों ने कलकत्ता में ओरिएण्टल लाइफ ऐंश्योरेन्स कम्पनी नामक एक जीवन बीमा कम्पनी की स्थापना की। सन् 1823 में ओरिएण्टल लाइफ ऐंश्योरेन्स सोसायटी के नाम से मद्रास में बीमा कम्पनिया खुली। इसके पश्चात् सन्1870 तक अनेक छोटी–बड़ी बीमा कम्पनियां प्रमुखतः अंग्रेजों का ही जीवन बीमा करती थी, भारतीयों का जीवन बीमा बहुत सीमित रूप में होता था और उनसे अपेक्षाकृत उॅची दर से प्रीमियम लिया जाता था लेकिन ये बीमा कम्पनियां सफल नहीं रही। छोटी कम्पनियों में कई तो बड़ी कम्पनियों के टूटने से जीवन बीमा व्यवसाय का काफी धक्का पहुॅचा।

भारतीय जीवन बीमा नगर का केन्द्रीय कार्यलय मुम्बई में है इसके अन्तर्गत सात क्षेत्रीय कार्यालय है जो क्रमषः मुम्बई कलकत्ता दिल्ली कानपुर हैदराबाद चेन्नई और भोपाल में स्थित है। इस समय पूरे भारत में निगम के लगभग 100 अधि मण्डल कार्यालय है और उसके अन्तर्गत कार्यरत शाखा कार्यालयों की कुल संख्या 2048 है। इाके अतिरिक्त भारत के बाहर विदेशों में लन्दन फिजी म्यांमार वर्मा श्रीलंका कीनिया तथा मारीशश में भी निगम की शाखा कार्यालय कार्यरत है।

Reference

1. Aaker DA. Building Strong Brands, New York, The Free Press 1996.
2. Barone MJ, Miniard PW, Romeo JB. The influence of positive mood on brand extension evaluations, Journal of Consumer Research 2000;26(3):386-400.
3. Boush DM, Loken B. A process tracing study of brand extension evaluation, Journal of Marketing Research 1991;28(1):16-28.
4. Lane VR. The impact of ad repetition and ad content on consumer perceptions of incongruent extensions, Journal of Marketing 2000;64(4):80-91.
5. Park CW, Milberg S, Lawson R. Evaluation of brand extensions: the role of product feature similarity and brand concept consistency. Journal of Consumer Research 1991;18(2):185-193.